

23-03-18

पञ्जावली प्रस्तुत हुई। त्रिपि. कपीबोर एक्ट देखो - क्र. 02 व 03 उपस्थित। शेष रेस्को को नोटिस जारी बिघे जावे। अधिनस्थ व्यापार्य की पञ्जावली तलबी हेतु तहरीर जारी की जावे। पञ्जावली कास्ते तलबी एक्ट इन्तजार रिपोर्ट दिनेक 17.04.18 को पेश हो।

17/4/18

पञ्जावली प्रस्तुत हुई। काबि. उग्रप्रकाश उपायकीर) अधिवक्ता रेस्कोडे-2 ने दस्तावेजों की सूची के साथ माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 09/4/18 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि इस 225 राजस्वान काश्तगारी अधिनियम से सम्बन्धित निगरानी में माननीय मण्डल द्वारा प्राचीन पत्र कारखाने सि वेद्याला पर दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए एक महीने में निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को उपलब्ध कर दिया गया है जिससे अब इस रूपील में कोरे कार्रवाई नहीं हो सकती, जिससे यह रूपील अब संघारण प्रोग्रम नहीं रही है अतः स्वारिज कारगर जावे।

बूटी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस 225 राजस्वान काश्तगारी अधिनियम से सम्बन्धित रूपील के संदर्भ में उनके समस्त विचारणीय निगरानी सं. 1310/2018 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को उपलब्ध कर दिया है, जिससे अब यह रूपील इस न्यायालय के समस्त संघारण प्रोग्रम नहीं रह जाती है। अतः रूपील रूपीलार्थी संघारण प्रोग्रम नहीं रहने से स्वारिज ही जाती है। तदनुसार पञ्जावली फंसल मुतार होकर वाड तक्मील डारिजल एफतर हो। कोदेश मुनागा गे।